प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक मृत्यु निर्देश क्रमांक 1/2007

(द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत)

दांडिक अपील क्रमांक 516/ 2007

अपीलार्थी : बलराम शर्मा

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु विचारार्थ

सही/-
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

22 अगस्त, 2007 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सूचीबद्ध किया गया

सही/-
21-8-2007

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक मृत्यु निर्देश क्रमांक 1/2007

(द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत)

दांडिक अपील क्रमांक 516/ 2007

अपीलार्थी : बलराम शर्मा, पिता श्री उचित शर्मा, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी क्वार्टर क्रमांक 504/डी, जोन-1, रेलवे कॉलोनी, बीएमवाई चरोदा, जी.आर.पी. भिलाई -3, पुलिस चौकी, चरोदा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, जी.आर.पी. भिलाई, पुलिस चौकी चरोदा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: -

श्री संदीप श्रीवास्तव सहित श्री आनंद वर्मा, अधिवक्ता: : अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.सी. ओत्तलवार, न्यायमित्र

श्री डी.के. ग्वालरे, अतिरिक्त लोक अभियोजक : राज्य की ओर से

<u>युगल पीठ*: -</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू</u>

<u>निर्णय</u>

(22 अगस्त, 2007 को घोषित)

<u>न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति **एल.सी. भादू** द्वारा पारित किया गया -</u>

1. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सिद्धदोष कैदी बलराम शर्मा का सत्र विचारण क्रमांक 14/2007 में उसकी पत्नी शकुंतला शर्मा, पुत्र सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित करने का विचारण किया गया था। विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 7-5-2007 के अपने निर्णय में सिद्धदोष

कैदी को उपरोक्त व्यक्तियों की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित करने का दोषी पाते हुए उसे मृत्युदंड से दंडित किया ।

2. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा दिनांक 7-5-2007 के निर्णय के अधीन उसे दी गई दोषसिद्धि और दण्ड की वैधता और सत्यता को चुनौती देते हुए, एक सिद्धदोष कैदी/अपीलार्थी द्वारा दांडिक अपील क्रमांक 516/2007 प्रस्तुत की गई है। दूसरी ओर, विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सिद्धदोष कैदी को दी गई मृत्युदण्ड की पुष्टि हेतु इस न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366(1) के अंतर्गत दांडिक मृत्यु निर्देश क्रमांक 1/2007 प्रस्तुत किया है।

3. यह निर्णय सिद्धदोष कैदी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील और विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा प्रस्तुत निर्देश का निराकरण करेगा।

4. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि सिद्धदोष कैदी अपनी पत्नी शकुंतला शर्मा, अप्राप्तवय पुत्र सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा, एक पुत्री कु. श्वेता शर्मा, भतीजे चंदन शर्मा, पिता उदित शर्मा के साथ रेलवे कॉलोनी, चरोदा में रहता था। सिद्धदोष कैदी रमेश अग्रवाल नामक व्यक्ति से किराने का सामान खरीदता था। उस पर कुछ राशि बकाया थी, वह उक्त राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं था। रमेश उस पर धनराशि का भुगतान करने के लिए दबाव बना रहा था। वह निजी सिविल ठेकेदार के रूप में कार्य करता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके पास कोई कार्य नहीं था, इसलिए वह मानसिक तनाव में था। दिनांक 18-9-2006 की संध्या को अपनी वित्तीय समस्याओं के कारण, उसने अपने परिवार के सदस्यों की हत्या कारित करने और उसके बाद आत्महत्या करने की योजना बनाई। उस योजना के तहत दिनांक 19-9-2006 की सुबह उसने अपनी पत्नी को जमीन पर लिटाकर उसके साथ संभोग किया, जब उसने अपनी पत्नी की गर्दन दबाई तो वह तड़पने लगी। अभियुक्त से स्वयं को छुड़ाने के लिए उसने अपने पति के दाहिने हाथ की अंगुलियों पर वार किया। जब उसने शोर मचाने की कोशिश की तो अभियुक्त ने उसकी गर्दन पर हंसिये से वार किया, जिससे उसकी गर्दन पर घातक कटा हुआ घाव हो गया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अपने पुत्र सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू सुमित शर्मा को शौच के बहाने एक-एक करके रसोई में ले गया। उसने उसी हंसिया से वार कर उनकी गर्दन भी काट दी। जब अपनी पुत्री श्वेता की हत्या और स्वयं आत्महत्या करने की बारी आई तो वह हिम्मत नहीं जुटा सका। जब उसके भतीजे चंदन शर्मा ने अभियुक्त की पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह सो रही है, बच्चों के बारे में उसने कहा कि उसने उन्हें राजेश नाम के एक व्यक्ति के साथ घर के बाहर भेज दिया है। अभियुक्त दोपहर लगभग ढाई बजे रसोई में ताला लगाकर घर से निकल गया। करीब चार बजे रसोई से नल का पानी आने लगा तो श्वेता ने अपने चचेरे भाई चंदन शर्मा से नल बंद करने को कहा। रसोई के दरवाजे के ताले की चाबी दीवार पर लटकी हुई थी, इसलिए उसने वह चाबी ले ली। जब उसने नल बंद करने के लिए रसोई के दरवाजे का ताला खोला, तो

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

देखा कि सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा के शव रसोई के फर्श पर रक्त से लथपथ घायल अवस्था में पड़े थे। इसके बाद, उसने कमरे में शकुंतला का शव देखा। उसने श्वेता और अन्य को सूचित किया। इस बीच, अभियुक्त स्वयं ही शासकीय रेलवे पुलिस चौकी, चरोदा चला गया। उसने अपने द्वारा किए गए अपराध का क्रम बताते हुए रिपोर्ट प्र.पी./32 दर्ज कराया। उसने वह स्थान भी बताया जहाँ उसने हंसिया रखी थी, जिस पर उपनिरीक्षक आर.के. साहू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी./32 दर्ज किया। अभियुक्त ने शकुंतला शर्मा की मृत्यु के संबंध में मर्ग सूचना प्र.पी./33, सोनू उर्फ विनीत शर्मा की मृत्यु के संबंध में प्र.पी./34 और मोनू उर्फ सुमित शर्मा की मृत्यु के संबंध में प्र.पी./35 भी दिया।

5. उपनिरीक्षक घटनास्थल के लिए रवाना हुए, पंचों को नोटिस पी/1 देने के बाद, सोनू उर्फ विनीत शर्मा के शव का मृत्यु समीक्षा प्र.पी/2 तैयार की, पंचों को नोटिस पी/3 देने के बाद, मोनू उर्फ सुमित शर्मा के शव का मृत्यु समीक्षा प्र.पी/4 तैयार की, पंचों को नोटिस पी/7 देने के बाद, शकुंतला शर्मा के शव का मृत्यु समीक्षा प्र.पी/6 तैयार की। पुलिस अभिरक्षा में, अभियुक्त ने हंसिया रखने के स्थान के संबंध में ज्ञापन प्र.पी/8 दिया, जिसके अनुसरण में उन्होंने उसके घर से प्र.पी/9 के तहत हंसिया बरामद की। प्र.पी/10 के तहत विवेचना अधिकारी ने मृतिका का एक पेटीकोट, एक ब्रा (काले रंग का), एक कथरी (पुराने कपड़ों से बना बिस्तर), एक पैंटी और कांच की चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े जब्त किए, जो सभी रक्त से सने हुए थे। उन्होंने प्र.पी/10 के तहत NITOVIT-10 गोलियों के खाली रैपर और एक अखबार भी जब्त किया। उन्होंने उस स्थान से रक्त के धब्बों के नमूने भी लिए जहाँ मृतक व्यक्तियों के शव पड़े थे। विवेचना अधिकारी द्वारा नजरी नक्शा प्र..पी/13 और प्र..पी/14 तैयार किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. शकुंतला शर्मा के शव को शव परीक्षण के लिए जिला अस्पताल, दुर्ग में प्र.पी/36 के तहत भेजा गया था, जहां डॉ. एस.के. फटिंग ने शव परीक्षण किया। उन्होंने मत दिया कि मृत्यु का कारण वाहिकाओं, श्वासनली और गले में व्यापक कट की चोटों के कारण शॉक और रक्तस्राव था। मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। उन्होंने रिपोर्ट प्र.पी.15 तैयार की। सोनू @ विनीत शर्मा के शव को प्र.पी. 37 के तहत जिला अस्पताल, दुर्ग में शव परीक्षण के लिए भेजा गया था, जहां डॉ. एस.के. फटिंग ने शव परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मृत्यु का कारण वाहिकाओं, श्वासनली और गले में व्यापक कट की चोटों के कारण शॉक और रक्तस्राव था। मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। उन्होंने रिपोर्ट प्र.पी. 16 तैयार की। मोनू @ सुमित शर्मा के शव को भी प्र.पी. 38 के तहत जिला अस्पताल, दुर्ग में शव परीक्षण के लिए भेजा गया था, जहां डॉ. एस.के. फटिंग ने शव परीक्षण किया। चूँकि अभियुक्त के दाहिने हाथ की उँगलियों पर चोटें थीं, इसलिए उसे भी प्र.पी./39 के तहत चोटों की जाँच के लिए जिला अस्पताल, दुर्ग भेजा गया। डॉ. बी.एन. देवांगन ने उसकी चोटों की जाँच की। उन्होंने प्र.पी./29 रिपोर्ट तैयार की। हंसिया भी जांच के लिए भेजी गई। डॉ. एस.के. फटिंग ने प्र.पी/18 पर हंसिया का स्केच तैयार करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्र.पी/19 दी, जिसमें उल्लेख किया गया कि हंसिया पर रक्त मौजूद था। अन्य वस्तुएं भी उन्हें जांच के लिए भेजी गईं। उन्होंने प्र.पी/20, प्र.पी/21, प्र.पी/22,

प्र.पी/23, प्र.पी/24, प्र.पी/25, प्र.पी/26, प्र.पी/27 और प्र.पी/28 रिपोर्ट दी। उन्होंने मत दिया कि मृतकों की गर्दन पर लगी चोटें प्रश्नगत हंसिया से हो सकती हैं। इन वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए प्र.पी/30 के तहत एफएसएल, रायपुर भेजा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण समाप्त होने तक एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

7. विवेचना पूरी होने के बाद, अभियुक्त के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उपार्पित किया, जहां से प्रकरण विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को सुनवाई के लिए अंतरण पर प्राप्त हुआ।

8. अभियोजन पक्ष ने सिद्धदोष कैदी के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए 14 साक्षियों का परीक्षण किया। सिद्धदोष कैदी का कथन दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य से इनकार किया। उसने कहा कि उसके तीन बच्चे और चंदन शर्मा टीवी कक्ष में सो रहे थे। उसने आगे कहा कि उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है। वास्तव में, दिनांक 19-9-2006 की सुबह 6.30 बजे वह रायपुर के लिए रवाना हुआ। वह वहां से लगभग 1.45 बजे दोपहर को लौटा। वह निर्दोष है और उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के पश्चात् सिद्धदोष कैदी को उपरोक्तानुसार सिद्धदोष किया एवं दण्डादेश दिया ।

10. हमने सिद्धदोष कैदी के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप श्रीवास्तव और राज्य के अपर लोक अभियोजक श्री डी.के. ग्वालरे को सुना है।

11. सिद्धदोष कैदी के विद्वान अधिवक्ता ने शकुंतला शर्मा, सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा की हत्या से इनकार नहीं किया है। इसके अलावा, सिद्धदोष कैदी की पुत्री अ.सा. 1 श्वेता शर्मा और सिद्धदोष कैदी के भतीजे अ.सा. 2 चंदन शर्मा, और अ.सा. 9 डॉ. एस.के. फटिंग, जिन्होंने शकुंतला शर्मा, सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा के शवों का शव परीक्षण किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शकुंतला शर्मा की गर्दन पर 17 x 5 सेमी आकार का हड्डी तक गहरा घाव था, जो कि जबड़े के दाहिने तरफ था, पूरी त्वचा कटी हुई थी, मांसपेशियां, श्वासनली, न्यूरो वैस्कुलर संरचना कटी हुई थी, चोटों के ऊपर नीचे कई खरोंचें थीं, दाएं और बाएं अंगूठे पर कटे हुए घाव थे, गर्दन की चोट के कारण सांस की नली कटी हुई थी, सभी चोटें मृत्यु पूर्व प्रकृति की थीं, मृत्यु का कारण सदमे और रक्तस्राव था जो प्रमुख रक्त वाहिकाओं और सांस की नली के कटने के परिणामस्वरूप हुआ था, मृत्यु मानव वध थी; उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने सोनू के शरीर का शव परीक्षण किया, उन्होंने देखा कि (i) गर्दन के दाहिने हिस्से के अगले हिस्से पर घाव था, जो कि जबड़े के बाईं ओर मास्टॉयड क्षेत्र तक 14 x 6 सेमी x हड्डी की गहराई

तक फैला हुआ था, श्वासनली पूरी तरह से कटी हुई थी, ग्रासनली पूरी तरह से कटी हुई थी, मांसपेशियों के साथ न्यूरो वैस्कुलर संरचना कटी हुई थी, (ii) गर्दन के दाहिने हिस्से पर 5 x 3 सेमी मांसपेशियों की गहराई तक घाव था, चोटें मृत्यु पूर्व प्रकृति की थीं, मृत्यु का कारण सदमा और रक्तस्राव था, गर्दन की रक्त वाहिकाएं पूरी तरह से कटी हुई थीं, मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी; उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने मोनू उर्फ सुमित शर्मा के शव का शव परीक्षण किया, उन्होंने देखा कि (i) गर्दन के ऊपरी हिस्से पर 16 x 7 सेमी आकार का घाव था जो ग्रीवा कशेरुका, श्वासनली, श्वास नली, ग्रासनली तक फैला हुआ था, रक्त वाहिकाएं पूरी तरह से कटी हुई थीं, चोट संख्या (i) के नीचे 11 x 1 सेमी x मांसपेशियों की गहराई में एक और घाव था, कंधे पर खरोंच थी, दाहिने गाल और दाहिने कंधे पर खरोंच थी, रक्त वाहिकाओं और श्वास नली के कटने के कारण सदमे और रक्तस्राव से मृत्यु हुई, मृत्यु की प्रकृति मानव वध की थी। श्वेता शर्मा, चंदन शर्मा के साक्ष्य और अ. सा. -9 डॉ. एस.के. फटिंग के चिकित्सीय साक्ष्य के दृष्टिगत, यह स्थापित होता है कि मृतक व्यक्तियों की मृत्यु की प्रकृति मानव वध की थी।

12. जहाँ तक विचाराधीन अपराध में सिद्धदोष क़ैदी की संलिप्तता का प्रश्न है, प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थापित विधि के अनुसार, जहाँ कोई प्रकरण पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, वहाँ दोष का अनुमान तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी अभियोगात्मक तथ्य और परिस्थितियाँ सिद्धदोष क़ैदी की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के दोष के साथ असंगत पाई जाएँ। (**अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[1]) जिन परिस्थितियों से सिद्धदोष क़ैदी के दोष के बारे में अनुमान लगाया जाता है, उन्हें युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए और यह दर्शाया जाना चाहिए कि वे उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य से निकटता से संबंधित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **सी. चेंगा रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[2] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

> "परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, स्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, वे पूरी तरह से सिद्ध होनी चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्य श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, सिद्ध परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता से पूरी तरह असंगत होनी चाहिए। "

---

1 AIR 1989 SC 1890
2(1996) 10 SCC 193

14. **हनुमंत गोविंद नरगुंडकर एवं एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[3] में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार अवलोकित किया है:-

> "यह स्मरण रखना उचित है कि जिन मामलों में साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति के हों, वहाँ जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे सर्वप्रथम पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। पुनः, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि सिद्ध किए जाने वाले प्रस्तावित परिकल्पना को छोड़कर अन्य सभी परिकल्पनाओं को खारिज कर दें। दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न बचे और यह ऐसी होनी चाहिए कि यह दर्शाया जा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

15. **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य**[4] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विचार करते हुए, इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:-

> "अभियोजन पक्ष पर यह सिद्ध करने का दायित्व था कि श्रृंखला पूर्ण है और अभियोजन पक्ष की कमियों को झूठे बचाव या तर्क से दूर नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय के शब्दों में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि से पूर्व, पूर्वोक्त स्थितियाँ पूरी तरह स्थापित होनी चाहिए। वे हैं:- (1) जिन परिस्थितियों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य' या 'होनी चाहिए' हैं, न कि 'स्थापित हो सकती हैं'। (2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती; (3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए; (4) वे सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अलावा हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर दें; और (5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न बचे और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[5] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि: "परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में, जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें न केवल पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की हों और केवल अभियुक्त के

---

3 AIR 1952 SC 343
4 AIR 1984 SC 1622
5 (1994) 2 SCC 220

दोष की परिकल्पना के अनुरूप हों। उन परिस्थितियों को अभियुक्त के दोष के अलावा किसी अन्य परिकल्पना द्वारा समझाया नहीं जा सकता और साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप विश्वास के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न बचे। यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि केवल न्यायालय का आक्रोश ही नहीं, बल्कि विधिक रूप से स्थापित परिस्थितियाँ भी दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं और अपराध जितना गंभीर होगा, साक्ष्य की जाँच में उतनी ही अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि संदेह प्रमाण का स्थान ले ले।"

17. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित परिस्थितियों के आधार पर सिद्धदोष कैदी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने का प्रयास किया है:-

(i) कि सिद्धदोष कैदी रमेश अग्रवाल (अ.सा.-8) का ऋणी था, क्योंकि वह उससे किराना सामान खरीदता था, वह राशि चुकाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए वह मानसिक तनाव में था, जिससे वह ऐसा जघन्य अपराध करने को विवश हुआ;

(ii) कि सिद्धदोष कैदी की पुत्री अभि.सा.-1 श्वेता ने सिद्धदोष कैदी को शकुंतला के बाल पकड़कर उस पर हमला करते देखा। उसने देखा कि सिद्धदोष कैदी सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा को शौच के बहाने एक-एक करके कमरे से बाहर ले गया;

(iii) कि सिद्धदोष कैदी ने अपने भतीजे, अ.सा.-2 चंदन शर्मा को झूठा स्पष्टीकरण दिया था। उसके द्वारा पूछताछ करने पर, सिद्धदोष कैदी ने बताया कि शकुंतला अस्वस्थ होने के कारण सो रही थी, सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा को राजेश के साथ भेजा गया था।

(iv) कि सिद्धदोष कैदी का आचरण ऐसा था कि उसने रसोई बंद करके किसी को कुछ भी बताए बिना घर छोड़ दिया था।

(8) कि सिद्धदोष कैदी की निशानदेही पर रक्त से सना हुआ हंसिया बरामद किया गया था; और

(vi) कि सिद्धदोष कैदी की उंगलियों पर चोटें थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. यह पता लगाने के लिए कि क्या अभियोजन पक्ष उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर विचाराधीन अपराध में सिद्धदोष कैदी की संलिप्तता स्थापित करने में सक्षम रहा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत को लागू करते हुए, हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की जाँच करेंगे।

<u>पहली परिस्थिति :-</u>

19. अ.सा.-8 रमेशचन्द अग्रवाल ने बताया है कि वह विगत 15 वर्षों से किराना वस्तुओं का व्यवसाय कर रहा है। सिद्धदोष कैदी उसे जानता है। उसके पिता भी उसे जानते हैं, क्योंकि वह रेलवे में सेवारत था। सिद्धदोष कैदी के पिता पूर्व में उसकी दुकान से किराना वस्तुएं खरीदते थे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात्

सिद्धदोष कैदी उसकी दुकान से किराना वस्तुएं खरीदता था। घटना दिनांक से 2-3 दिन पूर्व सिद्धदोष कैदी उसकी दुकान पर आया। सिद्धदोष कैदी पर लगभग 7300/- रूपये बकाया थे। उसने कहा कि वह 2-3 दिन में राशि चुका देगा। वह उससे किराना वस्तुएं उधार लेकर खरीदता था। 7300/- रूपये की राशि धीरे-धीरे उस पर बकाया हो गई, क्योंकि वह राशि चुकाने में असमर्थ था। उसकी माता का देहान्त जनवरी, 2006 में हो गया, अतः उसने 4500/- रूपये की किराना वस्तुएं खरीदीं। चूँकि उस पर और भी बकाया था, इसलिए जब उसने कई बार धनराशि मांगे, तो उसने 2500 रुपये दिए। वह रायपुर में ठेकेदार के तौर पर कार्य करता था। प्रतिपरीक्षण में उसने इस बात से इनकार किया कि वह सिद्धदोष कैदी पर धनराशि के भुगतान के लिए दबाव डाल रहा था।

20. अ.सा. -4 विनोद शर्मा, जो कि सिद्धदोष कैदी का भाई है, ने बताया कि 26 जनवरी 2006 को उनकी माँ का देहांत हो गया था। उस समय उन्होंने सिद्धदोष कैदी को उनकी माँ के अंतिम संस्कार के लिए 2,000 रुपये दिए थे। वह ठेकेदारी करते थे। अ.सा.-2 चंदन कुमार शर्मा, जो कि सिद्धदोष कैदी का भतीजा है, ने बताया कि वह अपने चाचा के साथ रहता था, जो ठेकेदारी करते थे। वह गैराज में कार्य करता था और 800 रुपये प्रति माह कमाता था, जो वह अपने चाचा को देता था। वह सुबह 9 बजे कार्य पर जाते थे और रात को लौटते थे। उस घटना के दिन उनके चाचा ने उन्हें काम पर जाने से मना कर दिया था। चूँकि वे ऋण लेने वाले हैं, उसके लिए वे दुर्ग जायेंगे। अ.सा.-1 श्वेता शर्मा ने भी बताया कि उनके पिता ठेकेदारी करते थे। दं.प्र.सं. की धारा 164 के अधीन दर्ज कथन प्र..डी/3 में, चंदन कुमार शर्मा ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कहा है कि उनके चाचा ने स्वीकार किया था कि कर्ज के बोझ तले दबे होने के कारण उनके चाचा मानसिक तनाव में थे, इसलिए उन्होंने जघन्य अपराध कारित किया। लेकिन न्यायालयीन साक्ष्य में वह अपने कथन से मुकर गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. अ.सा.-14 आर.के. साहू, उप निरीक्षक, ने कहा है कि सिद्धदोष कैदी निजी ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था। लेकिन पिछले 2 महीनों से उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा था। वह रमेश अग्रवाल से उधार पर किराने का सामान खरीदता था, लेकिन वह रमेश अग्रवाल को उधार के पैसे नहीं दे पा रहा था, इसलिए वह मानसिक तनाव में था। घटना के दिन, सुबह उसने शराब पी, उसके बाद उसने अपनी पत्नी के साथ संभोग किया और अपराध कारित किया। इसलिए, उपरोक्त साक्ष्य के दृष्टगत, यह साबित होता है कि सिद्धदोष कैदी निजी सिविल ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था, पिछले 2 महीनों से उसके पास कोई काम नहीं था, वह ज्यादातर समय अपने घर पर ही रहता था, वह रमेश अग्रवाल का कर्जदार था, जिससे वह उधार पर किराने का सामान खरीदता था, लेकिन वह रमेश अग्रवाल को पैसे नहीं दे पा रहा था, इसलिए वह मानसिक तनाव में था, यद्यपि उसके पिता उसे पेंशन के पैसे देते थे तथा भतीजा चंदन कुमार शर्मा भी 800 रुपये देता था, जो वह अपने काम से कमाता था, ऐसा प्रतीत होता है कि अ.सा.-8 रमेशचंद अग्रवाल ने डर के कारण यह कहा है कि उसने कभी भी सिद्धदोष कैदी पर पैसे देने के लिए दबाव नहीं डाला, लेकिन उसके साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि सिद्धदोष कैदी पर 7300 रुपये की राशि बकाया था, जिसे वह देने में सक्षम नहीं था, इसलिए निश्चित रूप

से सिद्धदोष कैदी के मन पर उसकी आर्थिक कठिनाइयों के कारण दबाव था। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्थापित होता है कि उसके द्वारा सामना की जा रही आर्थिक कठिनाई के कारण वह इस तरह के जघन्य अपराध में लिप्त होने के लिए विवश हुआ क्योंकि अभिलेख पर ऐसा कोई अन्य सामग्री नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि किसी अन्य परिस्थिति के कारण सिद्धदोष कैदी इस तरह के जघन्य अपराध में लिप्त होने के लिए विवश हुआ।

<u>दूसरी परिस्थिति :</u> -

22. जहाँ तक इस परिस्थिति का संबंध है, सिद्धदोष कैदी की पुत्री, अ.सा.-1 श्वेता शर्मा ने बताया है कि उस घटना दिनांक की रात्रि में वह अपने माता-पिता, भाई सोनू विनीत शर्मा और मोनू सुमित शर्मा के साथ शयन कक्ष में सो रही थी। जब वह जागी, तो उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर नहीं, बल्कि बिस्तर के सामने ज़मीन पर पड़ी थी और उसके पिता उसे बालों से पकड़कर पीट रहे थे। जब उसकी माँ ने चिल्लाने की कोशिश की, तो उसके पिता हंसिया लेकर आए और उस पर हमला कर दिया। हालाँकि प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि वास्तव में, उसने अपने पिता को हंसिया से वार करते नहीं देखा था। उसने कहा है कि घटना को देखकर वह डर गई थी, इसलिए वह चिल्ला नहीं पाई। इसके बाद, उसके पिता ने उसकी माँ के शव को कंबल से ढक दिया। उसने आगे बताया है कि जब उसका भाई सोनू शौच के लिए उठा, तो उसके पिता उसे शौच के लिए बाहर ले गए, वह उसे रसोई में ले गए। इसके तुरंत बाद, उसके पिता उसके दूसरे भाई मोनू को उसी तरफ ले गए और उस पर हमला कर दिया, उसके बाद रसोई बंद कर दी। जब उसने अपने पिता से अपने भाइयों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें एक चाचा के साथ भेज दिया है। जब उसने अपनी मां के बारे में पूछा, तो उसके पिता ने कहा कि वह सो रही हैं। उसके पिता यह कहकर घर से निकल गए कि वह सोनू और मोनू की तलाश में बाहर जा रहे हैं। इसके बाद, उसके पिता वापस नहीं लौटे। जब उसने देखा कि रसोई से नल का पानी आ रहा है, तो उसने अपने चचेरे भाई को इसके बारे में बताया। जब उसके चचेरे भाई ने रसोई का दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि सोनू और मोनू घायल हालत में मृत पड़े थे। प्रतिपरीक्षण में, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह जागी, तो उसने देखा कि उसके पिता उसकी मां को बालों से पकड़कर पीट रहे थे। उसने हंसिया से हमला करते नहीं देखा। उसे अपनी मां और भाइयों की मृत्यु के बारे में लगभग 4 बजे पता चला। दोपहर 2 बजे तक उसके पिता घर में ही थे। इस साक्षी के साक्ष्य को प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस साक्षी के पास अपने ही पिता को ऐसे जघन्य अपराध में फंसाने के लिए झूठे साक्ष्य देने का कोई कारण नहीं है। इस साक्षी से प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ऐसी कोई भी परिस्थिति उजागर नहीं कर पाया है जो इस साक्षी की साक्ष्य को संदेहास्पद बनाती हो। परीक्षण के समय श्वेता की उम्र 11 वर्ष थी, इसलिए वह सब कुछ देख और समझ सकती थी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव और श्री ओट्टालवार ने तर्क दिया कि वास्तव में इस साक्षी ने शकुंतला पर हंसिया से हमला होते नहीं देखा था, न ही वह कमरे में सो रही थी, इसलिए उसके लिए यह देखने का कोई अवसर नहीं था कि उसके पिता उसके भाइयों पर हंसिया से हमला करने के लिए उन्हें रसोई

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में ले गए। एक हद तक, तर्क विश्वसनीय लगता है, लेकिन तथ्य यह है कि उसके साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि उस घटना दिनांक की रात्रि को मृतक व्यक्ति, उसके पिता (सिद्धदोष कैदी) और वह एक ही कमरे में सो रहे थे, उसने देखा कि उसके पिता उसकी माँ को बालों से पकड़कर पीट रहे थे। उसने अपने पिता को सोनू और मोनू को कमरे से बाहर ले जाते हुए भी देखा। चंदन (अ.सा.-2) और इस साक्षी द्वारा पूछताछ करने पर, उन्होंने बताया कि सोनू और मोनू एक चाचा के साथ गए थे और शकुंतला की तबियत ठीक नहीं है, इसलिए वह सो रही है। यह झूठी सूचना सिद्धदोष कैदी ने दी थी।

<u>तीसरी परिस्थिति :-</u>

23. जहाँ तक इस परिस्थिति का संबंध है, सिद्धदोष क़ैदी के भतीजे, अ.सा.-2 चंदन कुमार शर्मा के साक्ष्य के अनुसार, वह सिद्धदोष क़ैदी के साथ रह रहा था। उस घटना के दिन, उसने अपनी चाची को नहीं देखा। उसने सिद्धदोष क़ैदी से अपनी चाची के बारे में पूछा, सिद्धदोष क़ैदी ने उत्तर दिया कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, इसलिए उसने उन्हें गोली दी है, इसलिए वह सो रही हैं। उसने आगे बताया कि लगभग 11 बजे उसने फिर अपने चाचा से पूछा, तो उन्होंने फिर कहा कि वह सो रही हैं। जब दोपहर 2 बजे तक उसे सोनू और मोनू दिखाई नहीं दिए, तो उसने अपने चाचा से पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे अपने दोस्त राजेश के साथ बाहर गए हैं, क्योंकि राजेश उन्हें ले गया था। वह सोनू और मोनू की तलाश में गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। जब लगभग 4 बजे... वह अपने घर लौट आया, तब श्वेता ने उसे बताया कि रसोई से नल का पानी आ रहा है, दरवाजा बंद है, इसलिए उसने दरवाजे के पास दीवार पर लटकी चाबी ली और पानी का नल बंद करने के लिए दरवाजा खोला। उसने देखा कि सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा के शव जमीन पर पड़े थे, उनकी गर्दन कटी हुई थी, रसोई का फर्श रक्त से भरा था, इसके बाद उसने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया और रवि को सूचित किया। उस समय उसने शकुंतला को नहीं देखा। सिद्धदोष कैदी के भतीजे चंदन शर्मा, जो सिद्धदोष कैदी के साथ रह रहा था, की उपरोक्त साक्ष्य से यह तथ्य स्थापित होता है कि सिद्धदोष कैदी ने चंदन शर्मा को शकुंतला शर्मा, सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा की उपस्थिति के बारे में गलत स्पष्टीकरण दिया था, जबकि वास्तव में, शकुंतला शर्मा बेडरूम में मृत पड़ी थीं, सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा रसोई में मृत पड़े थे। सिद्धदोष कैदी ने जानबूझकर चंदन शर्मा को इन तीनों पीड़ितों की उपस्थिति के बारे में गलत स्पष्टीकरण दिया था। इसके विपरीत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-106 के प्रावधानों के अनुसार, चूंकि घर में हत्या हुई थी और सिद्धदोष कैदी उस घटना घटित होने के रात में घर में था, इसलिए दिन के दौरान उसे चंदन शर्मा और परिवार के अन्य सदस्यों को उन परिस्थितियों के बारे में बताना था जिनमें 3 पीड़ितों की हत्या हुई थी क्योंकि उसकी उपस्थिति के कारण, यह उसके विशेष ज्ञान में था कि पीड़ितों की हत्या कैसे हुई। इसलिए, यह जघन्य अपराध में उसकी सहभागिता के संबंध में सिद्धदोष कैदी के विरुद्ध एक अतिरिक्त कारक है। चंदन शर्मा (अ.सा.-2) के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ऐसी कोई भी परिस्थिति उजागर नहीं कर पाया है जो इस साक्षी के साक्ष्य को संदेहास्पद करती हो। श्वेता और चंदन सिद्धदोष कैदी के करीबी रिश्तेदार हैं। प्रतिपरीक्षण में

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है कि इस साक्षी की सिद्धदोष कैदी के विरुद्ध कोई शत्रुता या पूर्वाग्रह था कि वह उसे झूठे मामले में फंसाए।

चौथी परिस्थिति:-

24. जहाँ तक इस परिस्थिति का संबंध है, यह स्वीकार किया जाता है कि घर में 3 शव पड़े थे, अर्थात् सिद्धदोष कैदी की पत्नी शकुंतला शर्मा का शव शयन कक्ष में पड़ा था, उसकी गर्दन पर हंसिया से घातक चोटें थीं, शरीर कम्बल से ढका हुआ था, इसी प्रकार सिद्धदोष कैदी अपने बेटों सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा को रसोई में ले गया, जिसे सिद्धदोष कैदी की पुत्री अ.सा.-1 श्वेता ने देखा, उसने उनकी गर्दन पर हंसिया से वार किए, उनके शव रसोई में पड़े थे, रसोई का दरवाजा बंद था, सिद्धदोष कैदी दोपहर 2 बजे तक घर में रहा, लेकिन उसने इन तीनों पीड़ितों की मृत्यु के बारे में किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं बताया; इसके अलावा, चंदन शर्मा द्वारा शकुंतला शर्मा, सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा के ठिकानों के बारे में पूछताछ करने पर, उन्होंने झूठा स्पष्टीकरण दिया। अगर सिद्धदोष कैदी इस जघन्य अपराध में शामिल नहीं था, तो उसे झूठा स्पष्टीकरण देने का कोई कारण नहीं था। सिद्धदोष कैदी का यह बाद का आचरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकार्य है। सिद्धदोष कैदी ने दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने साक्ष्य में कहा है कि उस घटना के दिन वह सुबह लगभग 6.30 बजे घर से निकला और अपने काम के लिए रायपुर चला गया। वह लगभग 1.45 बजे दोपहर को लौटा। सिद्धदोष कैदी का यह स्पष्टीकरण झूठा है क्योंकि सिद्धदोष कैदी की पुत्री अ.सा.-1 श्वेता और सिद्धदोष कैदी के भतीजे अ.सा.-2 चंदन शर्मा ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि सिद्धदोष कैदी दोपहर 2 बजे तक घर में उपस्थित था। बचाव पक्ष इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य को प्रतिपरीक्षण या कोई अन्य सामग्री प्रस्तुत करके खंडित नहीं कर पाया है, यहाँ तक कि उसने रायपुर में होने का कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपराध के बाद सिद्धदोष कैदी का यह आचरण भी विचाराधीन अपराध में सिद्धदोष कैदी की संलिप्तता को स्थापित करता है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पाँचवीं परिस्थिति: -

25. जहाँ तक इस परिस्थिति का संबंध है, अ.सा. 14 आर.के. साहू, उपनिरीक्षक, ने बताया है कि सिद्धदोष कैदी स्वयं दिनांक 19-9-2006 को जीआरपी पुलिस चौकी, चरोदा आया और उसने पुलिस को सूचित किया। उसने बताया कि उसने अपने दो बच्चों और पत्नी के शव रसोई और शयनकक्ष में रखे हैं। उसने शयनकक्ष में अपराध का हथियार हंसिया भी रखा है। उसने आगे बताया कि चंदन द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसकी चाची की तबियत ठीक नहीं है और बच्चों को राजेश नामक व्यक्ति के साथ भेज दिया गया है। उसने रसोई बंद कर दिया। उसने रिपोर्ट प्र.पी/32 दी। उसने मर्ग सूचना प्र.पी/33, प्र.पी/34 और प्र.पी/35 भी दी। उसने आगे बताया कि वह घटनास्थल पर गया था और शकुंतला शर्मा,

सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा के शवों की क्रमशः प्र.पी/6, प्र.पी/2 और प्र.पी/4 के आधार पर मर्ग सूचना तैयार की थी। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस अभिरक्षा में रहने के दौरान सिद्धदोष कैदी ने अपराध के हथियार हंसिया को रखने के स्थान के संबंध में मेमोरेंडम प्र..पी/8 दिया था, जिसके अनुसरण में सिद्धदोष कैदी की निशानदेही पर प्र.पी/9 के तहत हंसिया जब्त की गई और वह रक्त से सनी हुई थी। अ.सा.-12 प्रमोद शर्मा ने कहा है कि सिद्धदोष कैदी पुलिस के साथ उसके आवास पर आया था, जहां उसने शयनकक्ष और रसोई में उसकी पत्नी और बच्चों के मृत शरीर देखा गया। पुलिसकर्मी बिस्तर के नीचे पड़े हंसिया की तलाशी ले रहे थे, जिसे पुलिस को दे दिया गया था। मेमो और जब्ती पत्रक प्र.पी/8 और पी/9 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अ.सा.-9 डॉ. एस.के. फटिंग ने कहा है कि हंसिया और अन्य वस्तुएं परीक्षण के लिए उसके पास भेजी गई थीं। संबंधित हंसिया का उसने परीक्षण किया। हंसिया पर रक्त के धब्बे थे। शकुंतला शर्मा, सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा के शरीर पर पाए गए चोट उक्त हंसिया के कारण हो सकते हैं। उसकी रिपोर्ट प्र.पी/18 और पी/19 है। उपरोक्त के दृष्टिगत, यह स्थापित होता है कि अपराध का हथियार हंसिया सिद्धदोष कैदी के घर से उसकी निशानदेही पर जब्त किया गया था, जिस पर रक्त के धब्बे थे जिसे न केवल विवेचना अधिकारी ने बल्कि डॉ. फटिंग (अ.सा.-9) ने भी देखा था। यह सत्य है कि संबंधित हंसिया को जांच के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था लेकिन कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। एफएसएल या सीरोलॉजिस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं है कि हंसिया पर पाया गया रक्त मानव रक्त था। लेकिन हंसिया की बरामदगी को संबंधित अपराध से इस कारण जोड़ा जा सकता है क्योंकि यह एकमात्र परिस्थिति नहीं है जिसके आधार पर सिद्धदोष कैदी को संबंधित अपराध से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह एक अतिरिक्त परिस्थिति है। चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीड़ित के शवों पर पाई गई चोटें उक्त हंसिया के कारण आ सकती हैं और उन्होंने हंसिया पर रक्त भी देखा था, इसलिए यह परिस्थिति अर्थात हंसिया की बरामदगी भी सिद्धदोष कैदी को संबंधित अपराध से जोड़ती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी/32, मेमो और साक्षियों के समक्ष हत्या के संबंध में सिद्धदोष कैदी के कथन का वह भाग साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, जिसमें उसने पुलिस की उपस्थिति में घर में साक्षियों के समक्ष हत्या करने का अपराध स्वीकार किया था। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के अंतर्गत आता है। जहाँ तक सिद्धदोष कैदी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसकी निशानदेही पर हंसिया की बरामदगी का संबंध है, यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत स्वीकार्य है क्योंकि तथ्य की खोज साक्ष्य में प्राप्त की जा सकती है, और यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य है। इसलिए, साक्ष्य के उस भाग का उपयोग सिद्धदोष कैदी के विरुद्ध किया जा सकता है, इसलिए, विचारण न्यायालय का यह अवलोकन कि सिद्धदोष कैदी ने न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति की है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के कारण साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है जो यह सिद्ध करे कि सिद्धदोष क़ैदी ने किसी साक्षी के सामने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की हो, जो पुलिस की उपस्थिति में नहीं की गई हो। इसलिए, सिद्धदोष क़ैदी को संबंधित अपराध से जोड़ने के लिए न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का सहारा नहीं लिया जा सकता।

<u>छठी परिस्थिति:-</u>

27. जहां तक इस परिस्थिति का संबंध है, अ.सा. -10 डॉ. बी.एन. देवांगन ने कहा है कि उन्होंने सिद्धदोष कैदी की चोटों का परीक्षण किया है। दाहिनी तर्जनी उंगली पर 1½ सेमी x ½ सेमी के आकार में खरोंच थी। उसी उंगली पर 1 सेमी x ½ सेमी के आकार में खरोंच थी। ये चोटें कठोर और खुरदरी वस्तु के कारण आई थीं। उनकी रिपोर्ट प्र.पी/29 है। जब सिद्धदोष कैदी से पूछताछ की गई, तो दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने साक्ष्य में उसने कहा है कि पुलिस द्वारा की गई पिटाई के कारण उसे चोटें आई हैं। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि पुलिस ने उसे पीटा था। वास्तव में, वह स्वयं पुलिस थाना गया, रिपोर्ट दर्ज कराई, सब कुछ बताया। अतः पुलिस द्वारा सिद्धदोष कैदी की पिटाई का कोई प्रकरण नहीं था, यहाँ तक कि विवेचना अधिकारी से भी यह प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया कि उसने पिटाई की थी, इसलिए सिद्धदोष कैदी की उंगली में चोट आई, जैसा कि अभिलेख में आया है कि जब सिद्धदोष कैदी अपनी पत्नी शकुंतला शर्मा की गर्दन दबा रहा था, तो वह उससे संघर्ष कर रहा था, उसके चंगुल से छूटने के लिए उसकी पत्नी ने उसकी उंगलियां काट ली थीं, इसके बाद अभियुक्त हंसिया लेकर आया और गर्दन पर घातक चोटें पहुँचाईं। अ.सा.-1 श्वेता ने अपने कथन में कहा है कि उसके पिता उसकी माँ को बालों से पकड़कर पीट रहे थे। अतः सिद्धदोष कैदी के शरीर पर लगी चोट भी विचाराधीन अपराध में उसकी संलिप्तता का एक अतिरिक्त कारक है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

28. सिद्धदोष कैदी और पीड़ित एक ही कमरे में सो रहे थे, रात्रि में श्वेता ने सिद्धदोष कैदी को अपनी मां को पीटते हुए देखा, उसके बाद उसने सिद्धदोष कैदी को एक-एक करके सोनू और मोनू को कमरे से बाहर ले जाते देखा, उनके शव घायल अवस्था में रसोई में पाए गए, रसोई का दरवाजा बंद था, चाबी दरवाजे के पास लटकी हुई थी, सिद्धदोष कैदी ने अ.सा.-2 चंदन द्वारा शकुंतला शर्मा, सोनू उर्फ विनीत शर्मा और मोनू उर्फ सुमित शर्मा की उपस्थिति के बारे में पूछताछ करने पर झूठा स्पष्टीकरण दिया, सिद्धदोष कैदी ने दोपहर 2 बजे तक खुलासा नहीं किया। उसके बाद, उसने स्वयं जाकर पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया, सिद्धदोष कैदी की निशानदेही पर उसके घर से रक्त से सना हुआ हंसिया बरामद किया गया, चिकित्सक ने राय दी है कि पीड़ितों के शरीर पर मिली चोटें संबंधित हंसिया के कारण हो सकती हैं, सिद्धदोष कैदी की दाहिनी तर्जनी उंगली पर लगी चोटों की जांच डॉ. देवांगन ने की और वह चोटों के बारे में कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, इसलिए, ये सभी कारक और परिस्थितियां संबंधित अपराध में सिद्धदोष कैदी की संलिप्तता स्थापित करती हैं, इन परिस्थितियों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सिद्धदोष कैदी ही संबंधित अपराध का सूत्रधार था, संबंधित अपराध में किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के शामिल होने की कोई संभावना नहीं है।

29. सिद्धदोष कैदी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि सिद्धदोष कैदी को मृत्युदंड की कठोर सजा दी गई है, मामले के तथ्य और परिस्थितियां कठोर सजा का समर्थन नहीं करती है क्योंकि स्थापित

विधि के अनुसार यह विरल मामलो से विरलतम प्रकरण नहीं है जिसके लिए मृत्युदंड का कठोर दंड दिया जाए। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि सिद्धदोष कैदी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, पिछले कुछ महीनों से उसके पास काम नहीं था, वह रमेश अग्रवाल का कर्जदार था जिससे वह दैनिक जरूरतों की चीजें खरीदता था, वह रमेश अग्रवाल द्वारा दिए जा रहे पैसे चुकाने में असमर्थ था, इसलिए मानसिक तनाव में आकर उसने यह कदम उठाया और अपनी पत्नी और दो बच्चों समेत अपनों की हत्या कर दी। सिद्धदोष कैदी कोई आपराधिक इतिहास का व्यक्ति नहीं है। वह एक सामान्य नागरिक है।

30. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि जिस तरह से सिद्धदोष कैदी ने अपने परिवार के तीन सदस्यों की हत्या की, उसके लिए विचारण न्यायालय ने कठोर दंड देना ही उचित समझा।

31. इस बिंदु पर सुसंगत विधि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) है, जिसमें कहा गया है कि "जब दोषसिद्धि मृत्युदंड या वैकल्पिक रूप से आजीवन कारावास या कई वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए हो, तो निर्णय में दिये गये दंड के कारण और मृत्युदंड के मामले में, ऐसे दंड के विशेष कारण बताए जाने चाहिए।" इस धारा की व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में अनेक बार की गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सामान्य नियम यह है कि 'आजीवन कारावास' एक नियम है और 'मृत्युदंड' एक अपवाद है, अर्थात मृत्युदंड केवल असाधारण मामलों में ही दिया जा सकता है। इस बिंदु पर ऐतिहासिक निर्णय **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य**[6] है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान के सभी पहलुओं और संविधिक वैधता पर विचार करने के बाद यह निर्धारित किया कि (i) अत्यधिक दोषी होने के गंभीरतम मामलों को छोड़कर मृत्युदंड का कठोरतम दंड नहीं दिया जाना चाहिए (ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले 'अपराध' की परिस्थितियों के साथ-साथ 'अपराधी' की परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है (iii) आजीवन कारावास एक नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। मृत्युदंड केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब अपराध की सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त दंड प्रतीत हो। (iv) गुरुत्तरकारी और शमनकारी परिस्थितियों का एक तुलना पत्र तैयार किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय गंभीर परिस्थितियों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और विकल्प का प्रयोग करने से पहले गुरुत्तरकारी और शमनकारी परिस्थितियों के बीच एक उचित संतुलन बनाया जाना चाहिए। इस निर्णय पर **मच्छी सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य**[7] के मामले में पुनः विचार किया गया जिसमें विरल से विरलतम मामले के सिद्धांत को पुनः दोहराया गया और यह माना गया कि मृत्युदंड केवल उसी स्थिति में दिया जा सकता है जब हत्या किसी पारिवारिक विवाद के प्रतिशोध के रूप में की गई निर्मम, सुनियोजित और वीभत्स हत्या हो और जिसमें समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा को इतना आघात पहुंचा हो कि वह न्यायिक शक्ति केंद्र के धारकों

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

---

6 (980) 2 SCC 684
7 (1989) 3 SCC S

से अपेक्षा करे कि वे मृत्युदंड देने के लिए तैयार रहें, भले ही मृत्युदंड को बनाए रखने के बारे में उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, मृत्युदंड तब दिया जा सकता है जब हत्या अत्यंत क्रूर, विचित्र, आपराधिक, विद्रोही या नृशंस तरीके से की गई हो ताकि समुदाय का तीव्र और चरम आक्रोश पैदा हो; जब हत्या ऐसे उद्देश्य से की गई हो जो पूर्ण भ्रष्टता और नीचता को दर्शाता हो जैसे धन या पुरस्कार के लिए भाड़े के हत्यारे द्वारा हत्या, या किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए निर्दयतापूर्वक रक्त से की गई हत्या, जिसके संबंध में हत्यारा प्रभावशाली स्थिति में हो या विश्वास की स्थिति में हो या मातृभूमि के साथ विश्वासघात करते हुए हत्या की गई हो; जब अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय आदि के सदस्य की हत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियों में की गई हो, जो सामाजिक रोष उत्पन्न करती हों या दुल्हन को जलाने या दहेज हत्या के मामलों में या जब किसी मासूम बच्चे या असहाय महिला या वृद्ध या अशक्त व्यक्ति की हत्या की गई हो।

32.**अलाउद्दीन मियां एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[8] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 354(3) पर विचार किया और पूर्व के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को दोहराया तथा अभिनिर्धारित किया कि मृत्युदंड देने के लिए कारण बताना अनिवार्य है। धारा 354 की उपधारा (3) न्यायालय पर यह स्पष्ट करने का अत्यधिक दायित्व डालती है कि वह ऐसा दंड क्यों दे रहा है। उस उपधारा में विशेष कारणों का खंड मनमाने ढंग से अत्यधिक दंड लगाने के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है और यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपराधी समाज के लिए खतरा है और आजीवन कारावास की सजा पूरी तरह से अपर्याप्त होगी, तो न्यायालय को सामान्यतः कम सजा देनी चाहिए। केवल उन अपवादात्मक मामलों में, जिनमें अपराध इतना क्रूर, आपराधिक और घृणित हो कि समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दे, मृत्युदंड देना स्वीकार्य होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राज्य द्वारा से पुलिस अधीक्षक, सीबीआई/एसआईटी बनाम नलिनी व अन्य**[9] **और ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य**[10] के मामले में इस पहलू पर पुनः विचार किया। उस मामले में, एक अर्धसैनिक बल के सदस्य ने परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी थी और उसे कठोर दंड नहीं दिया गया था, क्योंकि वह और उसके परिवार के सदस्य मृतक के परिवार द्वारा किए गए अन्याय के कारण तनाव में थे। उस मामले में इसे शमनकारी परिस्थितियाँ माना गया था। **पंजाब राज्य बनाम गुरमेज सिंह**[11] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्युदंड देने से पहले न्यायालय को अपराध का उद्देश्य, हमले का तरीका, समग्र रूप से समाज पर अपराध का प्रभाव, अभियुक्त का व्यक्तित्व, मामले की परिस्थितियां और तथ्य, जैसे कि क्या किया गया अपराध किसी प्रकार की वासना, लालच को संतुष्ट करने के लिए किया गया है या किसी संगठित असामाजिक

8 1989 (3) SCC 5
9 1999 (5) SCC 2
10 1999 (3) SCC
11 2002 (6) SCC

गतिविधि के अनुसरण में या संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी या इसी तरह के अन्य माध्यमों से या समाज को इसी प्रकार के आपराधिक कृत्य से पीड़ित करने की संभावना, अर्थात भविष्य में अभियुक्त के हाथों समाज के सदस्यों की भेद्यता या हत्या का ऐसा कृत्य जो अंतरात्मा को झकझोर देने वाला हो सकता है, पर विचार करना होगा।

34. **शिवू एवं एक अन्य वी.आर.जी., कर्नाटक उच्च न्यायालय एवं एक अन्य**[12] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

> "अपराध और दंड के बीच अनुपात का सिद्धांत, न्यायोचित दंड का सिद्धांत है जो हर न्यायोचित आपराधिक दंड की नींव रखता है। दांडिक न्याय के सिद्धांत के रूप में, यह उस सिद्धांत से कम परिचित या कम महत्वपूर्ण नहीं है कि केवल दोषियों को ही दंडित किया जाना चाहिए। वास्तव में, यह आवश्यकता कि दंड अनुपातहीन रूप से अधिक न हो, जो न्यायोचित दंड का एक उपफल है, उन्हीं सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होता है जो किसी भी निर्दोष को दांडिक आचरण के लिए निर्धारित दंड से अधिक दंड की अनुमति नहीं देते हैं, वह दोषरहित दंड है।"

35. सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 25 और 26 में आगे कहा कि:-

> "25. दांडिक विधि सामान्यतः प्रत्येक प्रकार के दांडिक आचरण की दोषसिद्धि के अनुसार दायित्व निर्धारित करने में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करता है। यह सामान्यतः न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में सजा सुनाने में कुछ महत्वपूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करता है, संभवतः ऐसे दंड देने के लिए जो प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों द्वारा उठाए गए दोषसिद्धि के अधिक सूक्ष्म विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं। न्यायाधीश मूलतः इस बात पर जोर देते हैं कि दंड हमेशा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए; फिर भी व्यवहार में दंड मुख्यतः अन्य विचारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कभी-कभी अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकताओं को दंड को उचित ठहराने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, कभी-कभी उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयता को, और कभी-कभी उसके अपराध के दुखद परिणामों को भी। अनिवार्य रूप से ये विचार दंड के आधार के रूप में न्यायोचित दंड से विचलन का कारण बनते हैं और स्पष्ट अन्याय के ऐसे मामले उत्पन्न करते हैं जो गंभीर और व्यापक होते हैं।"
>
> 26. अपराध और दंड के बीच अनुपात सिद्धांत रूप में एक सम्मानित लक्ष्य है, और गलत धारणाओं के बावजूद, यह दंड के निर्धारण में एक मजबूत प्रभाव रखता है। किसी भी गंभीर अपराध के लिए अधिकतम कठोर दंड से कम कुछ भी सहनशीलता का एक पैमाना माना जाता है जो अनुचित और अज्ञानतापूर्ण है। लेकिन वास्तव में, उन विचारों के अलावा जो दंड को अनुचित बनाते हैं जब वह अपराध के अनुपात से बाहर हो, समान रूप से असमानुपातिक दंड के कुछ बहुत ही अवांछनीय व्यावहारिक परिणाम होते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12 2007

36. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बचन सिंह एवं मच्छी सिंह एवं अन्य** (पूर्वोक्त) के मामलों में प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, तथा अपराध और दंड के बीच अनुपात के सिद्धांत को न्यायोचित दंड का सिद्धांत मानते हुए, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले की असाधारण और विशिष्ट परिस्थितियों और तथ्यों को देखते हुए, यह प्रकरण विरल से विरलतम मामले की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि सिद्धदोष कैदी आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था, क्योंकि वह अपने ठेकेदारी के काम से धन अर्जित नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। वह रमेशचंद अग्रवाल का कर्जदार था, जो उस पर अपनी राशि चुकाने के लिए दबाव डाल रहा था, जिसे चुकाने की उसकी स्थिति नहीं थी। अभियुक्त के पक्ष में शमनकारी परिस्थितियाँ यह थीं कि वह मानसिक तनाव में था जिसने उसके सामान्य विवेक को पराजित कर दिया था, और ऐसी परिस्थितियों में उसने अपने निकट और प्रिय परिवार के सदस्यों की हत्या करके घातक कदम उठाया। सिद्धदोष कैदी का आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन उसकी पारिवारिक परिस्थितियों और आर्थिक तंगी ने उसे अपराध करने के लिए विवश किया। एकमात्र गुरुत्तरकारी परिस्थिति यह थी कि उसने अपने परिवार के 3 निर्दोष लोगों की हत्या की थी, लेकिन इसे उसके लिए मृत्युदंडादेश दिये जाने का प्रकरण नहीं माना जा सकता है। **ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य** (पूर्वोक्त) के मामले में अर्धसैनिक बल के एक सदस्य ने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी, उसे इस कारण से मृत्युदंडादेश नहीं दी गई थी कि वह और उसके परिवार के सदस्य अपने साथ हो रहे अन्याय के कारण तनाव में थे। वर्तमान मामले में भी, सिद्धदोष कैदी मानसिक तनाव में था, क्योंकि वह अपने परिवार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं था, वह आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था, जिसने उसे घातक कदम उठाने के लिए विवश किया, वास्तव में, जिसने उसके सामान्य ज्ञान को खत्म कर दिया। इसलिए, यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहां सिद्धदोष कैदी को मृत्युदंड का चरम दंड दिया जाये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. परिणामस्वरूप, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए सिद्धदोष कैदी की दोषसिद्धि यथावत रखी जाती है। तथापि, मृत्युदंड के दंड को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर, हम सिद्धदोष कैदी को आजीवन कारावास और 100 रुपये का जुर्माना अदा करने का दंडादेश देते हैं, जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।

38. इस प्रकार, अभियुक्त/अपीलार्थी की अपील ऊपर बताई गई सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा मृत्युदंड की पुष्टि के निर्देश को अस्वीकार किया जाता है।

सही/-
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Vijay Kumar Sahu, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur